संख्या- 24/1176/74-2014-20(ब)/2013

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

रेशम विकास अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 10 सितम्बर, 2014

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-05-कैटालेटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम फार सेरीकल्चर" के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-294/सेरी0/लेखा0/सी0डी0पी0/2014-15, दिनांक 31 जुलाई, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में प्रथम त्रैमासिक किस्त के रूप में आवंटित केन्द्रांश रूपये 39,20,000/- (रूपए उन्तालीस लाख बीस हजार मात्र) एवं उसके समतुल्य राज्यांश की धनराशि रूपये 39,20,000/- (रूपए उन्तालीस लाख बीस हजार मात्र) कुल रूपए 78,40,000/- (रूपए अठहत्तर लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-05-कैटालेटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम फार सेरीकल्चर-27-सब्सिडी" में प्राविधानित धनराशि रू0 177663 हजार (रूपये सत्रह करोड़ छिहत्तर लाख तिरसठ हजार मात्र) में से अवमुक्त करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-23/1131/74-2014-20(ब)/2013 दिनांक 12-08-2014 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-05-कैटालेटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम फार सेरीकल्चर-27-सब्सिडी" में प्राविधानित धनराशि रू0 177663 हजार (रूपये सत्रह करोड़ छिहत्तर लाख तिरसठ हजार मात्र) में से, भारत सरकार के पत्र संख्या-25014/4-2014-Silk(PCG-UP), दिनांक 23 जून, 2014 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश रूपये 39,20,000/- (रूपए उन्तालीस लाख बीस हजार मात्र) एवं उसके सापेक्ष समतुल्य राज्यांश की धनराशि रूपये 39,20,000/- (रूपए उन्तालीस लाख बीस हजार मात्र) कुल रूपए 78,40,000/- (रूपए अठहत्तर लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है -

(1) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का आबंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति/सहमति शासन से अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

http://srasanadesh.up.nic.in

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किये जाने के पश्चात यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे शासन को विलम्बतम दिनांक 15 मार्च 2015 तक निश्चित रूप से समर्पित कर दिया जाय।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जाय तथा मितव्ययिता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

(6) स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण (निर्धारित प्रारूप पर) तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाये। ये भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का योजनान्तर्गत कारित कार्यों हेतु ही उचित उपयोग किया जा रहा है।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का सम्पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जाय। किसी भी प्रकार के विचलन/ दुरूपयोग की स्थिति में निदेशक, रेशम/प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एस0एफ0, उत्तर प्रदेश लखनऊ स्वयं जिम्मेदार/उत्तरदायी होगे।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-107-रेशम उत्पादन उद्योग-आयोजनागत-05-कैटालेटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम फार सेरीकल्चर-27-सब्सिडी" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 सपठित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
उपसचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या एंव दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एस0एफ0, उ0प्र0, लखनऊ ।
(4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
(8) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
(9) नियोजन अनुभाग-4
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
उपसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in